

फर्द अहकाम

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

उनवान

बनाम

संक्रा

मु०न० 267/2024

किरम धारा

88

वॉट/प्रा.पत्र

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---|
| तारीख ह.म | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|--------------|-----------------------------------|---|

29/11/24

प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला शाहपुरा से संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक/प.9(89) राज-1/2023/तहसील सवाईपुर दिनांक 03.08.2023 से जारी अधिसूचना अनुसार तहसील बनेडा का पुनगठन होने से ग्राम पंचायत बबराणा/खेडलिया/महुआखुर्द को उपखण्ड भीलवाडा सम्मिलित किये जाने से इस न्यायालय में स्थानान्तरित की है, प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी कर प्रकरण वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 27/11/24 को पेश हो।

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

27/11/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 27/3/24 को पेश हो।

[Signature]
आदेश से केन्द्र

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 27/3/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

24/3/25

श्रीमान जेठू कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा।
क्रमांक. न्यायालय विविध 2025 / 429
12-02-2025 की पालना में न्यायालय
आधिकारी, भीलवाड़ा से पत्रावली उनका
नाम ~~...~~ स्थानांतरित होना
सहायक कलेक्टर, भीलवाड़ा में प्राप्त हुई है।
वाद से / प्रार्थना सं. 35/1/25 प्रतीबंद किया जा
पूर्व न्यायालय के आदेशानुसार पक्षकारान की सुनवाई
हेतु दिनांक 27/1/25 को पेश हो

2025

महायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

23/6/25

श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक न्याय/विधि/2025/42033 दिनांक 13/2/25 द्वारा
न्यायालय सप्लाय अधिकारी भीलवाड़ा में विद्यमान राजस्थान कलकरी अधिनियम 1938 की धारा
53, 54, 55, 56, 57, 58, एवं 212 के अन्तर्गत विचारार्थ तहसील सवाईपुर की पत्रावली को प्रेषित
होकर बाबू सुनवाई प्राप्त हुई है। उक्त प्रकरणों में समस्त पक्षकारान को वास्तु सुनवाई तालिका
जब्त कार्यवाही भी जारी है। न्यायालय सप्लाय अधिकारी भीलवाड़ा से अंतरित उक्त पत्रावली को
का सम्बन्ध में निम्नलिखित विधे अपने हेतु एवं जनहितार्थ राजस्थान कलकरी अधिनियम 1938 की
धारा 216 (9) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि उक्त समस्त पत्रावली को
में तलित न्याय प्रदान किये जाने एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण किये जाने हेतु केम कोर्ट दिनांक 23/6/25

लाइफ

Am
पुत्र
21/06/2025

की केम सवाईपुर में जेठू जी प्रेमनार
सरकार की ओर से जट. हल्ला उफ.। वारी
उफ.। पटवारी हल्ला द्वारा अयतन राजस्थान
दिवान की जटि प्रेषा करने के निमित्त
किताब कि नामा-नाम बंशधारा 118 नि.सि.
24/7/24 से वारी का नाम लाइफ जिला
बाबू बलार किताब का चुका है वारी
दास चाटा गप्पा अरु गौज पूरनी ही चुका
है। प्रतः वारी बंधन उत्तर वाद में
किती उकर की कोई कार्यवाही भेजा सित
वही होने के वारी का वाद अन्तर्गत
धारा 88, 188 नि.सि. किताब वाता है।
निर्णय करे इसकात सुनाया गया।
पत्रावली जिला सुमाट होकर जारी
हल्ला ही तला नम्बर से कम हो।

23/6/25

महायक कलेक्टर
भीलवाड़ा